संख्या-100/2018/3712 ई-2/तेरह-2018-82(रिट)/2018

प्रेषक

वेद प्रकाश राय,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ::दिनांक 22 नवम्बर, 2018

विषयः- मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-32372/2018(एम0बी0) में मा0 न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देश के अनुक्रम में साइबर हाइट्स बिल्डिंग, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित मेसर्स जिंक किचन एण्ड लाउन्ज बार तथा बी द बीयर रेस्टोरेन्ट बार के अनुज्ञापनों को निरस्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-18/2018/486 ई-2/तेरह-2018-64/2017, दिनांक 26 फरवरी,2018 एवं संख्या-19/2018/490 ई-2/तेरह-2018-83/2017, दिनांक 26 फरवरी,2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा मण्डलायुक्त, लखनऊ की अध्यक्षता में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 27-12-2017 में की गई संस्तुति के क्रम में साइबर हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित क्रमशः मेसर्स जिंक किचन एण्ड लाउन्ज, (ए यूनिट आफ आराधिता फूड्स एण्ड प्रा0लि0) एवं बी द बीयर रेस्टोरेन्ट को वर्ष 2017-18 हेतु एफ0एल0-7 बार अनुज्ञापन प्रदान करने की अनुमति कतिपय शर्तों एवं प्रतिबंधों के साथ प्रदान की गई है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मण्डलायुक्त, लखनऊ की अध्यक्षता में जिला बार समिति की बैठक दिनांक 11-6-2018 एवं दिनांक 11-9-2018 में की गई संस्तुति एवं इस संदर्भ में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 16-11-2018 के क्रम में आबकारी आयुक्त के पत्र संख्या-जी-131/दस-लाइसेंस-01-एफ0एल0-6,7/लखनऊ/ 2018-19, दिनांक 20 नवम्बर,2018 द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त उक्त शासनादेशों दिनांक 26 फरवरी,2018 द्वारा साइबर हाइट्स, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ स्थित मेसर्स जिंक किचन एण्ड लाउन्ज, (ए यूनिट आफ आराधिता फूड्स एण्ड प्रा0लि0) एवं बी द बीयर रेस्टोरेन्ट को वर्ष 2017-18 के लिए प्रदान की गई एफ0एल0-7

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बार अनुज्ञापन की अनुमति एतद्द्वारा तात्कालिक प्रभाव से निरस्त की जाती है। उक्त दोनों शासनादेश दिनांक 26 फरवरी,2018 इस सीमा तक संशोधित समझे जाएं। शेष शर्तें एवं अनुमति यथावत् रहेंगी।

तदनुसार कृपया अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

संख्या-100/3712(1) ई-2/तेरह-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को उनके पत्र संख्या-जी-131/दस-लाइसेंस-01-एफ0एल0-6,7/लखनऊ/2018-19, दिनांक 20 नवम्बर,2018 के संदर्भ में।

(2) मण्डलायुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ को उनके पत्र संख्या-406/42-2/15-16, दिनांक 15 नवम्बर,2018 के संदर्भ में।

आज्ञा से,
ह0/-
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।